न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

भू–वापसी वाद संख्या–137/2023

सूरतमनी देवी एवं अन्य

बनाम्

एकबाल सिंह मल्होत्रा एवं अन्य

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद की प्रक्रिया आवेदिका सूरतमनी देवी पति–राम मिलन सिंह एवं रीता देवी पति–सूरज सिंह दोनों निवासी सा0–बरवाडीह, थाना–बरवाडीह, जिला–लातेहार द्वारा विशेष विनियमन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–01/2021–22 में दिनांक 03.09.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया तथा दोनों पक्षों को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस प्राप्ति के पश्चात् दोनों पक्ष अपने–अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस वाद में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित प्रतिउत्तर दाखिल किया गया।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बरवाडीह के गत सर्वे खाता संख्या–26, प्लॉट संख्या–607, रकबा–0.62 एकड़ एवं प्लॉट सं0–522/1072 रकबा–0.16 एकड़ भूमि का हाल सर्वे खाता सं0–150 प्लॉट सं0–1127 रकबा–0.31 एकड़ तथा प्लॉट सं0–1136 रकबा–0.08 एकड़ के मूल रैयत शाह खरवार पिता शिवचरण खरवार थे, जो अनुसूचित जन जाति के सदस्य थे। अपीलार्थीगण खतियानी रैयत के वारिसान है। जीतन कुंवर द्वारा धनु

सिंह से निबंधित केवाला सं0–612 दिनांक–10.04.1963 से भूमि का क्रय किया गया था। जीतन कुंवर भी अनुसूचित जन जाति की सदस्य थी। जीतन कुंवर नावल्द मृत हो गई। विपक्षी द्वारा नावल्द मृत जीतन कुंवर के भूमि को शपथ पत्र सं0–27 दिनांक–19.12.1990 के आधार पर वादग्रस्त भूमि के मालिकाना हक का दावा किया जा रहा है, जो छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के प्रावधानों का उल्लंघन है। निम्न न्यायालय द्वारा बिना किसी साक्ष्य एवं दस्तावेजों का गहन निरीक्षण किए बिना हीं भू–वापसी वाद सं0–01/21–22 को खारिज कर दिया गया। जहाँ तक भू–वापसी वाद सं0–202/1983–84 लक्षमण सिंह वगैरह बनाम् जीतन देवी में दिनांक–27.01.1984 को विशेष विनियमन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा पारित आदेश का मामला है। उक्त वाद में जीतन देवी के पक्ष में किए गए भूमि हस्तान्तरण में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के प्रावधानों के अनुपालन के संदर्भ में आदेश पारित किया गया था। जीतन कुंवर नावल्द मृत है तथा इस वाद के विपक्षीगण उसके सन्तान नही है। हाल सर्वे खतियान भी लक्षुमण सिंह पिता–किशुन सिंह वो धनु सिंह पिता–रामसहाय सिंह जाति–खरवार क नाम पर प्रकाशित है, जो छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 एवं धारा–71(ए) से अच्छादित है, तथा वापसी योग्य है।प्रथम पक्ष द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रांची द्वारा वाद संख्या–1061/1998 (जयनाथ शाही बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य) एल0पी0ए0 संख्या–708/2003 (झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम् अर्जुन दास) सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–1319/1999(रमेश प्रमाणिक बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य) तथा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–284/2000 (सुनील कुमार सिन्हा एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य) में पारित आदेश की प्रति भी

प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बरवाडीह स्थित हाल सर्वे खाता सं0–150 प्लॉट सं0–1127 रकबा–0.31 एकड़ एवं प्लॉट सं0–1136 रकबा–0.08 एकड़ कुल रकबा–0.39 एकड़ भूमि जीतन कुंवर पति उजागीर सिंह ने निबंधित विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया गया था। क्रेता एवं विक्रेता को अनुसूचित जन जाति के सदस्य होने के कारण निबंधन से पूर्व उपायुक्त की अनुमति ली गई थी। रैयत के वारिसान धनु सिंह द्वारा कुल रकम पाने के बाद भूमि पर जीतन कुंवर का दखल–कब्जा दिया गया। खरीदगी के पश्चात जीतन कुंवर के नाम से दाखिल–खारिज स्वीकृत होकर मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया, जिसका हाल सर्वे खतियान के आधार पर ऑन–लाईन मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि जीतन देवी का विवाह हिन्दू प्रथा एवं रीति–रिवाज के अनुसार उजागीर सिंह के साथ हुआ था। इस तथ्य को देखते हुए कि जीतनी कुंवर के पिता ने हिन्दू धर्म अपना लिया था। कुल रकबा–0.62 एकड़ में से रकबा–0.31 एकड़ एवं रकबा–0.16 एकड़ में से रकबा–0.08 एकड़ भूमि उजागीर सिंह ने अपनी पत्नी के नाम से क्रय किया तथा कुल रकम विक्रेता को दिया। इसी के तहत हाल सर्वे खतियान जीतन कुंवर के नाम से प्रकाशित हुआ। चूँकि भूमि उजागीर सिंह द्वारा जीतन कुंवर के नाम से खरीदी गई थी। इसलिए उजागीर सिंह एवं उनकी पत्नी की मृत्यु के पश्चात जमीन की किस्म बदल गई एवं हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार जमीन उजागीर सिंह एवं जीतन कुंवर के भतीजे एकबाल सिंह के पास वापस आ गई। जीतन कुंवर ने अपने जीवनकाल में एकबाल सिंह के पक्ष में दिनांक–19.12.1990 को वादग्रस्त भूमि के

देखभाल के लिए एक हलफनामा निष्पादित किया था, जो उनकी चाची थी। पूर्व में अपीलार्थीगण के सदस्य लक्ष्मण सिंह द्वारा दायर भू–वापसी वाद सं0–202/1983–84 को विशेष विनियमन पदाधिकारी, पलामू द्वारा खारिज किया गया है, जिसके विरूद्ध वर्तमान समय तक कोई अपील दाखिल नहीं की गई है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनदेखी करते हुए अपीलार्थी पुनः भू–वापसी वाद सं0–01/21–22 विशेष विनियमन पदाधिकारी, लातेहार के समक्ष दाखिल किया गया, जिसे निम्न न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। विशेष विनियमन पदाधिकारी, डाल्टनगंज पलामू द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.1984 को किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा चुनौती नहीं दी गई। विपक्षी एकबाल सिंह हलफनामा के आधार पर केवल वाद भूमि की देखरेख कर रहे है। जीतन कुंवर की मृत्यु के पश्चात् उनके परिवार के सदस्य विपक्षी के सम्पर्क में है। सुरजमनी देवी लक्ष्मण सिंह के परिवार के सदस्य है। विक्रेता धनु सिंह लक्ष्मण सिंह के भाई है। धनु सिंह द्वारा अपना आधा हिस्सा की भूमि हीं बिक्री किया गया है। उसमें अपीलार्थी या उनके परिवार का कोई हिस्सा नहीं बनता है। उक्त आलोक में अपील आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

अंचल अधिकारी, बरवाडीह के पत्रांक–194 दिनांक–12.04.24 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में निम्न तथ्य अंकित किया गया है :–

1. मौजा–बरवाडीह के गत सर्वे खाता–26 प्लॉट संख्या–607 रकबा–0.62 एकड़ एवं प्लॉट संख्या–522/1072 रकबा–0.16 एकड़ भूमि अनुसूचित जनजाति से संबंधित है।
2. मौजा–बरवाडीह के गत सर्वे खाता–26 प्लॉट संख्या–607 रकबा–0.62 एकड़ एवं प्लॉट संख्या–522/1072 रकबा–

0.16 एकड़ भूमि विक्रेता धनु सिंह पिता–रामसहाय सिंह जाति खरवार ग्राम–बरवाडीह के द्वारा निबंधित केवाला संख्या–612 दिनांक 05.04.1963 से क्रेता जीतन कुवर पति–उजागीर सिंह कौम चेरो ग्राम–बरवाडीह को प्राप्त है, जिसमें निबंधित केवाला में Permitted Vide REV/73/62–63 दर्ज है।

3. गत सर्वे मांग पंजी–II के ज0 सं0–175 पर जीतन कुंवर के नाम से जमाबंदी कायम थी एवं लगान रसीद भी कटती थी तथा क्रेता दखलकार है।
4. हाल सर्वे खाता संख्या–150, प्लॉट संख्या–1127 रकबा–0.31 एकड़ एवं प्लॉट संख्या–1136 रकबा–0.08 एकड़, कुल रकबा–0.39 एकड़ भूमि का ऑनलाईन मांग पंजी–II के पेज संख्या–173 पर जीतन कुंवर के नाम पर मांग चल रहा है तथा लगान रसीद वर्ष 2020–21 तक निर्गत है।
5. जांच के समय उपस्थित ग्रामीणों के अनुसार क्रेता की जाति चेरो एवं उजागीर सिंह की जाति पंजाबी क्षत्रिय है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूँ कि मौजा–बरवाडीह के गत सर्वे खाता संख्या–28 प्लॉट संख्या–1127/607 रकबा–0.38 एकड़ एवं प्लॉट संख्या–1136/1072 रकबा–0.04 एकड़, कुल रकबा–0.42 एकड़ भूमि का भू–वापसी वाद संख्या–202/83–84 (लक्षुमण सिंह वगैरह बनाम् जितनी देवी कुंअरी) की कार्यवाही विशेष विनियमन पदाधिकारी, लातेहार के न्यायालय में चलाया गया है, जिसमें भूमि का वैद्य हस्तांतरण एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 के प्रावधान का उल्लंघन नहीं होने के कारण दफा–71(क) से अच्छादित नहीं मानते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त किया गया है। उक्त आदेश

के विरूद्ध अपीलार्थीगण के वंशज या अपीलार्थीगण द्वारा कोई अपील दायर नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी बरवाडीह के जांच प्रतिवेदन में भी निबंधित केवाला में Permitted Vide REV/73/62–63 का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार जीतन कुंवर द्वारा अनुमति के पश्चात् विक्रेता धनू सिंह के हिस्से की भूमि निबंधित विक्रय पत्र से क्रय की गई थी। उक्त आलोक में अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी, बरवाडीह तथा विशेष विनियमन पदाधिकारी, लातेहार को उपलब्ध करायें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.06.28 17:18:59 +05:30
Location: 10.93.47.14